

विद्युत कनेक्शन हेतु उपभोक्ता के लिये मार्ग निर्देशिका

1. आवेदन पत्र:

(नये स्थायी एवं अस्थायी कनेक्शन हेतु)

- जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र (प्रपत्र- I) (अनुलग्नक-अ), जो कि प्रत्येक सहायक अभियन्ता (ओ.एण्ड.एम.) के कार्यालय से निशुल्क प्राप्त किया जा सकता है अथवा निगम के वेबसाइट (Website- www.energy.rajasthan.gov.in/jvvn) से डाउनलोड (Download) किया जा सकता है, को भरकर एवं प्रत्यक्ष पेज पर स्वयं आवदेक द्वारा हस्ताक्षर करके सम्बन्धित सहायक अभियन्ता (ओ.एण्ड.एम.) कार्यालय में निर्धारित राशि के साथ जमा कराना होता है।
- आवेदक द्वारा जमा कराया गया आवेदन पत्र विद्युत कनेक्शन हो जाने के पश्चात् निगम एवं उपभोक्ता के बीच कानूनी अनुबन्ध का रूप ले लेता है इसलिये इसको सावधानी पूर्वक स्वच्छ अक्षरों में भरा जाये।
- आवेदन पत्र भरने के लिये यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित सहायक अभियन्ता (ओ.एण्ड.एम.) के कार्यालय से सहायता ली जा सकती है।
- आवेदनकर्ता डिस्कॉम की वेबसाइट पर जाकर (Apply through Web Self Services) ऑनलाईन आवेदन कर सकता है।

2. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज

- विद्युत कनेक्शन हेतु अनुबन्ध (Agreement) के लिये स्टाम्प ड्यूटी की पूर्ति हेतु 50रु. मूल्य का नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर निम्नालिखित अंकित करते हुए हस्ताक्षर सहित संलग्न किया जाये:

“यह स्टाम्प पेपर श्री/ श्रीमति/ कुमारी पुत्र/ पुत्री/ पत्नी
श्री पता द्वारा
श्रेणी के विद्युत कनेक्शन लेने हेतु अनुबन्ध (Agreement) के लिये स्टॉम्प ड्यूटी की पूर्ति
हेतु संलग्न है।

आवेदक के हस्ताक्षर

- जिस परिसर में विद्युत कनेक्शन चाहा गया है उस परिसर के स्वामित्व/ किरायेदार होने के प्रमाण स्वरूप आवश्यक दस्तावेज की सत्य प्रतिलिपि संलग्न की जाये। निम्नलिखित में से कोई एक की प्रति संलग्न की जावें।

भूमि अथवा आवास अथवा व्यवसायिक परिसर की रजिस्ट्री की कॉपी/पटटा/भूमि अथवा आवास अथवा व्यवसायिक परिसर का किरायानामा/आंवटन पत्र/न्यायालय आदि/स्थानीय निकायों द्वारा कब्जा पत्र/ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र/बन्धक विलेख (Mortgage deed), विक्रय विलेख (Sale deed), /कब्जाधारी का प्रमाण/अन्य ब्यौरेवार दस्तावेज/किरायेदार होने की स्थिति में 50 रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पर मकान मालिक द्वारा प्रमाणित अनुबंध पत्र तथा कब्जेदार होने की स्थिति में 500 रुपये (जेपीआर 871) का गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर आवेदक के स्वयं के हस्ताक्षर से क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र देना आवश्यक होगा। कब्जेदार होने की स्थिति में आवेदक का पहचान पत्र जिसमें परिसर का पता अंकित हो आवश्यक है।

- पहचान पत्र हेतु निम्नलिखित दस्तावेज में से कोई एक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। वोटर आई-डी/राशन कार्ड/आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाईसेस इत्यादि।
- बिजनेस रजिस्ट्रेशन नम्बर।
- सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि उपभोक्ता अपने परिसर की विद्युत फिटिंग केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी सुरक्षा विनियम—2010 के नियमों में वर्णित शर्तों को पूरा करता है। इसके लिये स्व-प्रमाणित अधिष्ठापना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो कि फिटिंग का विवरण और निरीक्षण सम्बन्धी रिपोर्ट दर्शाता है। यह प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ अथवा बाद में, लेकिन कनेक्शन जारी होने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में घरेलू तथा अघरेलू श्रेणियों के विद्युत कनेक्शन के लिये, अधिष्ठापना प्रमाण पत्र की अनिवार्यता नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रेणी में नये कनेक्शन अथवा वर्तमान में चालू कृषि कनेक्शन के विद्युत भार में वृद्धि /कमी, परिसर बदलना मोटर बदलना इत्यादि मामलों में एल.फार्म के स्थान पर 50 रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निम्नलिखित शपथ—पत्र ‘नोटरी पब्लिक’ (Notary Public) द्वारा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा अटैस्ट (Attest) करवाकर प्रस्तुत करना होगा—

शपथ—पत्र

मैं पुत्र श्री निवासी
 ग्राम तहसील जिला शपथपूर्वक घोषित करता हूँ कि
 मेरे खसरा नं ग्राम तहसील पर कृषि
 पम्प के लिये विद्युत कनेक्शन हेतु फिटिंग का कार्य मैने लाईसेन्सड कांट्रैक्टर/सुपरवाइजर/वायरमैन द्वारा
 केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी सुरक्षा विनियम—2010 के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण करा कर टेस्ट करा
 लिया है।

उपभोक्ता एवं शपथकर्ता

उपरोक्त शपथ-पत्र कभी भी लेकिन कनेक्शन जारी होने से पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। कनेक्शन जारी करने से पूर्व इस शपथ-पत्र पर सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा यह प्रमाणित किया जायेगा कि “उपभोक्ता के परिसर पर विद्युत फिटिंग्स का निरीक्षण एवं टेस्टिंग कर ली गई है एवं कनेक्शन जारी कियाज जा सकता है।”

- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विकसित कॉलोनियों में औद्योगिक श्रैणियों के कनेक्शन चाहने पर, आवेदक को 'राजस्थान आवासन मण्डल' द्वारा जारी 'कोई आपत्ति नहीं' (No Objection Certificate) प्रस्तुत करने पर ही कनेक्शन जारी किया जाता है।
 - बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के लिये अधिकृत संस्था / विभाग द्वारा अनुमोदित नक्शा संलग्न किया जाये।

3. प्राथमिकता :

- नये कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र की उप-खण्ड/ग्रामवार प्राथमिकता निर्धारित की जाती है जो कि “पहले आओं पहले पाओं” नीति के अन्तर्गत निर्धारित की जाती है।
 - नये कनेक्शन के अलावा, विद्युत भार/विद्युत मांग में वृद्धि अथवा कम करने, नाम परिवर्तन, कनेक्शन को एक के नाम से दूसरे के नाम स्थानान्तरित करने, कनेक्शन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने आदि के लिये भी निर्धारित आवेदन पत्र (प्रपत्र-1) (अनुलग्नक-‘अ’) में आवेदन किया जा सकता है।
 - सर्विस कनेक्शन देने की प्राथमिकता अधिष्ठापना प्रमाण पत्र जमा करने की तिथी अथवा डिमाण्ड नोट की सम्पूर्ण राशि जमा कराने की तिथी, जो भी बाद में हो, के अनुसार रखी जाती है।
 - औद्योगिक श्रेणी के कनेक्शनों में ऐसे आवेदन जिसमें ट्रांसफार्मर लगाना हो एवं जहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लगाना हो, की अलग-अलग प्राथमिकता रखी जाती है।

4. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू श्रेणी में विद्युत कनेक्शन हेतु सामान्य प्रावधान

4.1 शहरी क्षेत्र में घरेलू श्रेणी कनेक्शन

4.1.1 शहरी क्षेत्र में सामान्य श्रेणी में आवेदन पत्र के साथ आवेदक को निम्नालिखित राशि जमा करानी होगी –

- आवेदन पत्र के साथ आवेदन राशि सामान्य श्रेणी

■ एल टी सिंगल फेज	नि:शुल्क
■ एल टी थ्री फेज	नि:शुल्क
● स्थाई कनेक्शन राशि''	3000 रु
● उपभोग अमानत राशि	100 रु / कि.वा
● मीटर अमानत राशि	
■ सिंगल फेज	350 रु
■ थ्री फेज	650 रु
● मीटर बक्से की कीमत	
■ सिंगल फेज	350 रु
■ थ्री फेज	950 रु

उपरोक्त स्थाई कनेक्शन राशि अर्थात् 3000 रुपये, 300 मीटर तक सर्विस लाईन हेतु है। सर्विस लाईन का 300 मीटर से अधिक विस्तार होने पर सिंगल फेज लाईन के लिये 100 रु. प्रति मीटर एवं थ्री फेज लाईन के लिये 150 रु. प्रति मीटर की दर से अतिरिक्त राशि देनी होगी।

4.1.2 कच्ची बस्ती में घरेलू कनेक्शन –

● आवेदन पत्र के साथ आवेदन राशि	कच्ची बस्ती
■ एल टी सिंगल फेज	नि:शुल्क
■ एल टी थ्री फेज	नि:शुल्क
● स्थाई कनेक्शन राशि	2000 रु
● उपभोग अमानत राशि	100 रु / कि.वा
● मीटर अमानत राशि	
■ सिंगल फेज	कोई राशि नहीं
■ थ्री फेज	कोई राशि नहीं
● मीटर बक्से की कीमत	
■ सिंगल फेज	कोई राशि नहीं
■ थ्री फेज	कोई राशि नहीं

उपरोक्त स्थाई कनेक्शन राशि अर्थात् 2000 रुपये, 300 मीटर तक सर्विस लाईन हेतु है। सर्विस लाईन का 300 मीटर से अधिक विस्तार होने पर सिंगल फेज लाईन के लिये 100 रु. प्रति मीटर एवं थ्री फेज लाईन के लिये 150 रु. प्रति मीटर की दर से अतिरिक्त राशि देनी होगी।

4.1.3 बहुमंजिले भवन (Building Complex) एवं बड़ी—बड़ी इमारते (Large Building) (घरेलू तथा अधरेलू श्रेणियों के लिये)

- बहुमंजिला इमारतों में विद्युत कनेक्शन के लिए सभी मंजिलों का वास्तविक निर्मित क्षेत्रफल या फिर स्वीकृत प्लान क्षेत्रफल जो भी अधिक हो के आधार पर डिमाण्ड की गणना के आधार पर कनेक्शन दिया जाता है। एस्टीमेटेट डिजाइंड डिमाण्ड की गणना निम्नानुसार की जावेगी।

क्र.सं.	बहुमंजिले भवनों में कनेक्शन की श्रेणी	सम्बद्ध भार प्रति 1000 वर्ग फीट	रूपांकित (डिजाइंड) उच्चतक मांग
1	घरेलू	8 कि.वा	कुल सम्बद्ध भार का 50%
2	अ-घरेलू	10 कि.वा.	कुल सम्बद्ध भार का 50%
3	पार्किंग		उपरोक्तानुसार डिजाइंड मांग का 5 प्रतिशत

- एस्टीमेटेट डिजाइंड 50 के.वी.ए. से अधिक होने पर आवेदक को विद्युतीकरण हेतु स्वयं का ट्रांसफार्मर स्थापित करना होगा। इस सम्बन्ध में परिसर को विद्युतीकृत करने के लिए आवेदक को नोटिस दिया जावेगा और विद्युतीकरण में उपयोग होने वाले सब-स्टेशन व लाईन के बिल के आधार पर 5 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज मांग पत्र में अतिरिक्त लिया जावेगा। बहुमंजिला इमारत की एस्टीमेटेट डिजाइंड डिमाण्ड 50 के.वी.ए. से अधिक होने पर परिसर का 11 केवी वोल्टेज पर विद्युतीकरण परिसर के मालिक/डवलपर द्वारा कराया जाना आवश्यक है।
- भू-स्वामियों/विकासकर्ताओं/उपभोक्ताओं के समूह द्वारा कब्जेधारियों के हित में विद्युतीकरण का पूर्ण रूपांकित सरंचना/बुनियादी तंत्र (**Infrastructure**) एवं टी आपूर्ति बिन्दु से प्रत्येक उपभोक्ताओं के मीटरिंग बिन्दु तक अपेक्षित सम्बद्ध भार के आधार पर एवं उपयुक्त क्षमता के ट्रांसफार्मर की अधिष्ठापना सहित उपर्युक्त सब क्लॉज (1) के अनुसार उपलब्ध कराने का विकल्प होगा। उक्त प्रकरणों में बुनियादि तंत्र (**Infrastructure**) का अनुरक्षण (**Maintancance**), उनके द्वारा किया जावेगा। यदि भू-स्वामियों/विकासकर्ताओं/उपभोक्ताओं के समूह द्वारा सम्बद्ध भार बढ़ाया जाता है तो उन्हें अधिक क्षमता का ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाया जायेगा।
- यदि किसी बहुमंजिले भवन में एक या एक से अधिक उपभोक्ता एचटी कनेक्शन चाहते हैं तो वे व्यक्तिक ट्रांसफार्मर स्थापित करवाने के स्थान एचटी आपूर्ति बिन्दु से प्रत्येक उपभोक्ताओं के मीटरिंग बिन्दु तक विद्युतीकरण का सम्पूर्ण संयुक्त बुनियादी तंत्र (**Infrastructure**), बनाकर उनकी संविदा मांग के कुल योगात्मक क्षमता का केवल एक उपयुक्त ट्रांसफार्मर अधिष्ठापित कर सकते हैं। ऐसे प्रकरणों में विपत्र का निर्धारण एवं अन्य प्रयोजनों के लिये उपभोक्ता को व्यक्तिक (**Individually**), रूप से विचारित किया जाएगा।
- यदि कब्जेदार/भू-स्वामियों/विकासकर्ताओं/उपभोक्ताओं द्वारा उपर्युक्त बिन्दु (3) तथा (4) में वर्णित बुनियादी तंत्र (**Infrastructure**), के आधार पर स्थापित किया जाता है तो विद्युत लाइन, संयन्त्र, वितरण मुख्यों तथा सर्विस लाइन इत्यादि उपलब्ध कराने के व्यय का 5% ही निगम को पर्यवेक्षण प्रभार के प्रति संदेय होगा। अन्य प्रकरणों में पूर्ण प्रभार व्यक्तिक आवेदक से वसूल किए जाएंगे।

6. बहुमंजिला परिसर में विद्युतीकरण हेतु तेल सहित (**Oil type**), ट्रांसफार्मर अथवा तेल रहित (**Dry type**), ट्रांसफार्मर लगाये जाते हैं। भू-स्वामियों/विकासकर्ताओं/उपभोक्ताओं द्वारा अत्यधिक छीजत (**High Losses**), वाले ट्रांसफार्मर लगाये जाते हैं। इससे निगम को काफी नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में यह अनिवार्य है कि दोनों तरह के ट्रांसफार्मरों को निगम की केन्द्रीय जांच प्रयोगशाला (**Central Testing Laboratory (CTL)**), में टेस्ट करवाकर ही लगाये जायें। सिनेमाघरों, बहुमंजिला परिसर इत्यादि में सामान्यतया ट्रांसफार्मर बेसमेन्ट अथवा भू-तल से भी नीचे अथवा बन्द जगह में लगाया जाने से, अग्नि दुर्घटना की सम्भावना अधिक रहती है। इस तरह की दुर्घटनाओं को टालने के लिये विद्युत अधिनियम-2003 में समाहित प्रावधान के अनुसार, यदि ट्रांसफार्मर खुली जगह पर नहीं लगाकर, बेसमेन्ट, भू-तल से भी नीचे अथवा बन्द जगह में लगाना हो तो अनिवार्य रूप से (**Mandatory**), “ड्राई टाईप ट्रांसफार्मर” (**Dry type transformer**), अर्थात बिना तेल के ट्रांसफार्मर ही लगाया जायेगा।
7. ऐसे बहुमंजिले भवनों के परिसर में मीटर लगाने के लिए भूतल पर पैनल सहित क्यूबिकल भी उपलब्ध करवाना होगा।

4.1.4 कॉलोनाईजर/विकासकर्ता/सहकारी संस्थाओं द्वारा विकसित कॉलोनियों में विद्युतीकरण तथा विभिन्न श्रेणियों (घरेलू, अघरेलू एवं लघू औद्योगिक) में कनेक्शन हेतु –

1. बाहरी क्षेत्र में (शहरी/ग्रामीण) विकासकर्ताओं द्वारा विकसित की जा रही कॉलोनी के विद्युतीकरण के लिए आवेदन करना होगा।
2. शहरी/ग्रामीण क्षेत्र के नजदीक क्षेत्र में विकसित की जा रही कॉलोनियों के विद्युतीकरण हेतु 33 के.वी./11 के.वी./एल.टी. लाईनों का विस्तार एवं 33/11 के.वी. ट्रांसफार्मर 11/0.4 के.वी. ट्रांसफार्मर सब-स्टेशन आदि के लिए अलग-अलग स्कीम की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की जावेगी।
3. कॉलोनी के विद्युतीकरण का कार्य स्वयं कॉलोनाईजर/विकासकर्ता/सहकारी संस्थाओं द्वारा स्वीकृति के अनुसार करने पर तकमीने की राशि का 5 प्रतिशत ही निगम को सुपरविजन राशि के प्रति जमा करानी होगी। सम्बद्ध भार 1500 के.वी.ए. से अधिक होने पर कॉलोनाईजर/विकासकर्ता/सहकारी संस्था द्वारा 33/11 के.वी. सब-स्टेशन का निर्माण एवं सब-स्टेशन के लिए 1000 वर्गमीटर जमीन बिना किसी कीमत के (**Free of cost**) विद्युत निगम के हक में देगा एवं सम्बद्ध भार 15 एम.वी.ए. से अधिक होने पर 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण हेतु 5000 वर्गमीटर जमीन बिना किसी कीमत के (**Free of cost**) विद्युत निगम के हक में देगा।
4. वितरण तंत्र में उपयोग किये जाने वाले 33/11 के.वी. एवं 11/0.4 के.वी. के ट्रांसफार्मर निगम द्वारा आवश्यकता अनुसार लगाये जावें, लेकिन लगाये जाने वाले ट्रांसफार्मर की राशि तकनीने के अनुसार कॉलोनाईजर/विकासकर्ता/सहकारी संस्था द्वारा जमा कराई जावेगी। जबकि 33/11 के.वी. एवं 11/0.4 के.वी. सब-स्टेशन का निर्माण स्वयं कॉलोनाईजर/विकासकर्ता/सहकारी संस्था द्वारा किया जावेगा एवं तकमीने की राशि का 5 प्रतिशत निगम को सुपरविजन राशि के प्रति जमा करानी होगी।
5. तत्पश्चात् भावी उपभोक्ताओं को घरेलू, अघरेलू एवं लघू औद्योगिक श्रेणी के कनेक्शन देने की प्रक्रिया अमल में लायी जायेगी।

6. ईनर्जी अंकेक्षण हेतु प्रत्येक 11 के.वी. फीडर पर तथा प्रत्येक ट्रांसफार्मर पर मीटर लगाया जायेगा।

4.1.5 कॉलोनाईजर/विकासकर्ता द्वारा अविद्युतीकृत कॉलोनियों में क्षेत्रफल की लागत के आधार पर विद्युतीकरण –

ऐसी स्थिति में जबकि प्राइवेट कॉलोनाईजर/विकासकर्ता बिना विद्युतीकरण किये हुये कॉलोनी छोड़ जाता है एवं इन कॉलोनी में कुल प्लॉटों की संख्या के 50 प्रतिशत से कम प्लॉट धारकों को दिनांक 24.06.2011 से पूर्व कनेक्शन दिये गये हैं, तो कॉलोनी में स्थित कुल प्लॉटों की विद्युतीकरण हेतु स्कीम/तकमीना सम्बद्ध भार के अनुकूल बनाये जाते हैं जिसमें 33/11 के.वी. सब-स्टेशन मय जमीन के विकसित किये जाने हेतु विद्युत तंत्र के निर्माण कार्य शामिल किया जाता है। इन कॉलोनियों में प्लॉट धारक के आवेदन पत्र पर आवेदित श्रेणी के कनेक्शन देने के लिए निर्धारित राशि के अतिरिक्त विद्युत तंत्र विस्तार हेतु राशि निम्नानुसार¹ प्रत्येक आवेदक के प्लॉट के क्षेत्रफल के अनुसार वसूल करनी होती है।

नगर निगम क्षेत्र	—	रु 200 प्रति वर्ग गज।
नगर परिषद् क्षेत्र	—	रु 170 प्रति वर्ग गज।
नगर पालिका क्षेत्र	—	रु 150 प्रति वर्ग गज।
अन्य ग्रामीण क्षेत्र	—	रु 130 प्रति वर्ग गज।

विस्तार किये जाने वाले विद्युत तंत्र की राशि प्रति वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से (प्रथमबार 01.04.2018 से) 5 प्रतिशत बढ़ाई जावेगी, जबकि मीटर एवं विद्युत उपभोग सुरक्षा राशि समय-समय के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आवेदक से ली जावेगी।

ऐसे मामले जहां प्लॉट के मालिक ने अविद्युतीकृत कॉलोनी में बहुमंजिला इमारत का निर्माण कर लिया है एवं डिजाइन डिमाण्ड 50 केवीए से कम है और अलग-अलग फ्लेट मालिकों द्वारा निगम के तंत्र से कनेक्शन जारी किया जाना है ऐसे मामलों में प्लॉट क्षेत्र के आधार पर प्रत्येक मंजिल के लिए प्रति वर्ग गज के अनुसार राशि वसूल की जावेगी। यदि प्रत्येक मंजिल पर एक से अधिक फ्लेट हैं तो उस प्लॉट क्षेत्र के आधार पर उस मंजिल के लिए पूरे फ्लेट के लिए क्षेत्र के अनुपात में प्रत्येक फ्लेट मालिक से शुल्क वसूल किया जावेगा।

अविद्युतीकृत क्षेत्रों में (आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक अथवा फार्म हाऊस) जहा विकासकर्ता स्कीम का विद्युतीकरण कराये बिना छोड़ गया हो ऐसे मामलों में व्यक्तिगत प्लॉट धारकों को विद्युत कनेक्शन (आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक अथवा फार्म हाऊस) जेपीआर5-857 दिनांक 5.5.2017 / जेपीआर5-886 दिनांक 21.5.2017 / जेपीआर5-788 दिनांक 11.5.2016 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित राशि जमा करवाकर अथवा स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 11 केवी लाईन एवं 11/.04 केवी ट्रान्सफार्मर की कीमत जमा करवाकर (आवेदक द्वारा विकल्प चुनने पर) जारी किये जा सकते हैं।

4.1.6 स्थानीय निकायों, रेलवे, प्रतिरक्षा, निजी आवासन समितियों/विकासकर्ताओं आदि द्वारा विकसित क्षेत्रों का विद्युतीकरण

1. उनके द्वारा विकसित क्षेत्रों/कॉलोनियों में विद्युतीकरण का कार्य स्थानीय निकायों, रेलवे, प्रतिरक्षा तथा निजी आवासन समितियों/विकासकर्ताओं आदि द्वारा किया जाना स्वीकृत किया जा सकता है। योजना का कार्य शुरू होने से पूर्व निगम के सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता (परि.एवं संधा) द्वारा तकनीकी स्वीकृती दी जाएगी। विद्युतीकरण का कार्य पुरा हो जाने पर संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा और यदि निगम के प्रतिमानों के अनुसार कोई कमी नहीं पायी जाती है तो कार्य पूरा होने के 15 दिवस में कनेक्शन दे दिए जाएंगे। यदि संयुक्त निरीक्षण के समय वितरण तन्त्र के संधारण के लिए निगम से कहता है तो इसे निगम को सुपुर्द किया हुआ माना जाएगा।
2. उपर्युक्त उप-वाक्यांश (1) में वर्णित ऐसे क्षेत्रों के मामले में, यदि उपभोक्ता की अधिष्ठापना (**Installation**), तक सर्विस लाइन विद्युतीकरण करने वाली एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करवायी गयी है तो निम्नानुसार विद्युत लाइन, सयन्त्र, वितरण मुख्य तथा सर्विस लाइन आदि के व्यय का केवल 5 प्रतिशत सुपरविजन चार्जेज के प्रति निगम को देनी होगी। यदि सर्विस लाइन निगम द्वारा उपलब्ध करवायी जानी है तो निम्नानुसार विद्युत लाइन संयन्त्र, वितरण, मुख्य तथा सर्विस लाइन आदि के व्यय का केवल 25 प्रतिशत निगम को देनी होगी।
उपरोक्त राशि के अलावा विद्युत उपभोग अमानत राशि, मीटर अमानत राशि एवं मीटर बक्से की कीमत भी देय होगी।

5. ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू श्रेणी कनेक्शन

5.1 ग्रामीण – आबादी क्षेत्र में

5.1.1 सामान्य श्रेणी

आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् आवेदक को निम्नलिखित राशि जमा करानी हागी –

- आवेदन पत्र के साथ आवेदन राशि
 - एल. टी. सिंगल फेज – निःशुल्क
 - एल.टी. थ्री फेज – निःशुल्क
- स्थाई कनेक्शन राशि – 1500 रु
- उपभोग अमानत राशि – 100 रु / कि.वा
- मीटर अमानत राशि
 - सिंगल फेज – कोई राशि नहीं।
 - थ्री फेज – कोई राशि नहीं
- मीटर बक्से की कीमत

- सिंगल फेज कोई राशि नहीं
- थ्री फेज कोई राशि नहीं

5.2 ग्रामीण – गैर आबादी क्षेत्र में

5.2.1 ग्रामीण गैर आबादी क्षेत्रों में छितरायें हुये आवासों को 11केवी लाईन का विस्तार कर लोड सेंटर पर उचित क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाकर ट्रांसफार्मर से 100 मीटर की परिधि में स्थित आवासों को 3 या अधिक के समूह में सौभाग्य योजना के अन्तर्गत कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है। जहाँ विद्युत तंत्र स्थापित करना वित्तीय व तकनीकी दृष्टि से साध्य नहीं है, ऐसे स्थानों पर RREC द्वारा Stand alone Solar System लगाकर कनेक्शन दिये जायेंगे।

इसके अतिरिक्त आदेश संख्या जेपीआर 5-837 के तहत गैर आबादी क्षेत्र में स्थापित एल.टी.लाईन से 100 मीटर तक सर्विस लाइन डालकर एवं आवश्यकतानुसार ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाकर सौभाग्य योजना के अन्तर्गत कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है।

समय–समय पर भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाएँ यथा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना / प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना (सौभाग्य) के मानदण्ड अनरुप योजना की समय अवधि के आधार पर निर्धारित शुल्क लेकर योजना में कनेक्शन जारी किये जायेंगे।

5.2.2 स्ववित्त पोषित योजना :-

गैर आबादी क्षेत्र (खेतों में निवास कर रहे छितरायें) में स्व-वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत घरेलू कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत 5 के.वी.ए. का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर स्थापित कर एकल अथवा ट्रांसफार्मर की क्षमता अनुसार समूह में आवेदकों को कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता द्वारा तीन फेज के घरेलु विद्युत संबंध की मांग करने पर तीन फेज का ट्रांसफार्मर स्थापित करके विद्युत संबंध जारी करने हेतु स्व-वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत तीन फेज की लाईन एवं ट्रांसफार्मर का समर्त खर्चों उपभोक्ता को वहन करना होगा।

विभिन्न घरेलू श्रेणियों के अन्तर्गत नये विद्युत कनेक्शन हेतु ली जाने वाली राशि के लिये रेडी-रेकनर (Ready-recknor)

(i) घरेलू सेवा

क्र. स.	विवरण	निर्धारित राशि (रुपये)			
		जनजाति उपयोजना क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	कच्ची बस्ती	शहरी क्षेत्र
1	आवेदन पत्र फीस	नहीं है।	नहीं है।	नहीं है।	नहीं है।
2	लाईन/प्लान्ट के लिये स्थायी प्रभार	500	500 (आबादी क्षेत्र)	2000	3000
3	विद्युत उपभोग प्रतिभूति	100 प्रति कि.वा.	100 प्रति कि.वा.	100 प्रति कि.वा.	100 प्रति कि.वा.
4	मीटर प्रतिभूति				
	(I) सिंगल फेस	350	शून्य	शून्य	350
	(II) थ्री फेज	650	शून्य	शून्य	650
5	मीटर बक्से की कीमत				
	(I) सिंगल फेस	350	शून्य	शून्य	350
	(II) थ्री फेज	950	शून्य	शून्य	950

नोटः— ग्रामीण क्षेत्र में उपरोक्त प्रभार सौभाग्य योजना की समयावधि में लागू होंगे। सौभाग्य योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले कनेक्शनों में मीटर प्रतिभूति राशि एवं मीटर बक्से की राशि देय नहीं है।

6. अघरेलू श्रेणी में विद्युत कनेक्शन

6.1 आवेदन के साथ जमा करायी जाने वाली राशि

एलटी आपूर्ति के लिए

क्र.स.	उपभोक्ता की श्रेणी	जमा कराई जाने वाली राशि (रु.)
1.	अघरेलू	<p>शहरी</p> <p>1 कि.वा तक भार रु. 3000/-</p> <p>1 कि.वा. से अधिक 5 कि.वा. तक रु. 4000/-</p> <p>5 कि.वा. से अधिक 10 कि.वा तक रु. 6000/-</p> <p>10 कि.वा. से अधिक 10 कि.वा. से ऊपर 250/- रु. प्रत्येक कि.वा. या उसके अंश के लिए अतिरिक्त राशि</p> <p>ग्रामीण</p> <p>1 कि.वा तक भार रु. 2000/-</p> <p>1 कि.वा से अधिक 5 कि.वा. तक रु. 3000/-</p> <p>5 कि.वा से अधिक 10 कि.वा. तक रु. 5000/-</p> <p>10 कि.वा से अधिक 10 कि.वा. से ऊपर 250/- रु. प्रत्येक कि.वा. या</p>

		उसके अंश के लिए अतिरिक्त राशि
--	--	-------------------------------

- (1). उपरोक्त राशि 300 मीटर तक सर्विस लाईन हेतु है सर्विस लाईन का 300 मीटर से अधिक विस्तार होने पर सिंगल फेज लाईन के लिये 100 रु. प्रति मीटर एवं थ्री फेज लाईन के लिये 150 रु. प्रति मीटर की दर से अतिरिक्त राशि देनी होगी।
- (2). एक ही परिसर में, एक ही नाम से एक से अधिक अघरेलू श्रेणी में कनेक्शन जारी नहीं किये जायेंगे।
- (3). गौशाला के लिये विद्युत कनेक्शन अघरेलू सेवा के अन्तर्गत आता है लेकिन विद्युत बिल घरेलू सेवा की ऊर्जा प्रभार की दर का 50(प्रतिशत) एवं पूरा स्थायी प्रभार के अनुसार जारी किया जाता है।
- (4). जोजोबा कल्टीवेशन के लिए समस्त उपभोग अघरेलू सेवा की सामान्य शुल्क दर की आधी ली जाएगी। यथापि स्थायी प्रभार पूरा लिया जायेगा।

नोट:—सार्वजनिक पूजा स्थल जैसे मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च इत्यादि के लिए 5 कि.वा. तक स्वीकृत सम्बद्ध भार होने पर घरेलू एवं 5 कि.वा. से अधिक स्वीकृत सम्बद्ध भार होने पर अघरेलू श्रेणी में कनेक्शन दिए जावेंगे।

6.2 ग्रामीण क्षेत्र के गैर आबादी क्षेत्र में अघरेलू कनेक्शन

6.2.1 ब्लॉक सप्लाई हेतु

1. गैर आबादी क्षेत्र में अघरेलू श्रेणी के कनेक्शन देने हेतु शुरू में ट्रांसफार्मर और लाइन की कीमत आवेदक को जमा करानी होती है।
2. उपरोक्त राशि में से ट्रांसफार्मर की कीमत कनेक्शन जारी होने के एक वर्ष पश्चात् मासिक/द्विमासिक बिलों में समायोजित कर लौटा दी जाएगी।
3. उपरोक्त प्रावधान लागू करने हेतु वर्तमान में स्थापित ट्रांसफार्मर से कनेक्शन नहीं दिया जाएगा अपितु प्रत्येक कनेक्शन हेतु अलग—अलग लाईन एवं ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा।
4. क्योंकि ट्रांसफार्मर सब स्टेशन अकेले आवेदक के लिये लगाया जायेगा अतः ट्रांसफार्मर सब स्टेशन की सुरक्षा हेतु शपथ—पत्र (Undertaking) 50रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुलग्नक 'स' के प्रारूपानुसार देना होगा।

6.2.2 24 घण्टे सप्लाई हेतु

1. निगम के सबस्टेशन से आवेदक के परिसर तक 11 के.वी. लाइन का खर्च आवेदक से लिया जाएगा।

2. 11 के.वी. लाईन एवं $11/0.4$ के.वी. ट्रांसफार्मर सब-स्टेशन की सम्पूर्ण कीमत उपभोक्ता को वहन करनी होगी, जो कि वापस देय नहीं होगी।
3. इस मामले में एल.टी साईड पर मीटरिंग उपकरण प्रदत्त किया जा सकता है और ऐसे मामलों में ट्रांसफोरमेशन लोसेज की पूर्ति हेतु अभिलिखित यूनिटों में 3 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।

6.2.3 ग्रामीण क्षेत्र (छितरायें हुए परिसर) में 10 कि.वा. तक कनेक्टेड लोड (Connected Load) के लिये सिंगल फेज अधरेलू कनेक्शन

10 कि.वा तक सम्बद्ध भार हेतु ग्रामीण छितरायें क्षेत्रों में आदेश क्रमांक 2417 दिनांक 21.2.2018 (जेपीआर5—928) के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नानुसार कनेक्शन जारी किये जाने का प्रावधान है।

- (i). 10 कि.वा. कनेक्टेड लोड तक के कनेक्शन सिंगल फेज लाईन एवं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर सब-स्टेशन से दिये जायेंगे। सबसे नजदीक 11 के.वी. लाईन से तकमीना बनाकर कनेक्शन दिये जायेंगे।
- (ii). 11 के.वी. लाईन एवं $11/0.4$ के.वी. ट्रांसफार्मर व सब-स्टेशन की पूरी कीमत आवेदक द्वारा वहन की जायेगी।
- (iii). उपरोक्त जमा कराई गयी राशि लौटाई नहीं जावेगी।
- (iv) उपरोक्त कनेक्शन AMR मीटर लगाकर जारी किये जाने का प्रावधान है। जब तक बाजार/निगम स्टोर में AMR मीटर उपलब्ध नहीं है एवं निगम का तंत्र AMR मीटर की रीडिंग एवं डेटा हेतु विकसित नहीं हुआ हो। तब तक आदेश क्रमांक 2615 दिनांक 15.3.2018 (जेपीआर 5—937) के अनुसार आवेदक स्वयं सिंगल फेज एनर्जी मीटर (10—60 एम्पीयर और अधिक रेटिंग) खरीदकर जेवीवीएनएल के मीटर लैब में टेस्टिंग फीस जमा करवाकर चैक करवाकर लगवाया जावेगा। अगर आवेदक के द्वारा उपरोक्त क्षमता का मीटर उपलब्ध नहीं करवाया जाता है तो यह कनेक्शन निगम के थ्री फेज एनर्जी मीटर के एक फेज को उपयोग करके जारी किये जाने का प्रावधान है।
- (v). आवेदक लोड रिडक्शन/वोल्टेज लेवल में परिवर्तन (थ्री फेज से सिंगल फेज) लोड 10 कि.वा. तक के लिए आवेदन करता है तो आदेश क्रमांक 2663 दिनांक 23.3.2018 (जेपीआर 5—941) के अनुसार सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की सम्पूर्ण राशि जेपीआर 5—863 के तहत एस्टीमेट में ली जावेगी तथा हटाये गये थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर की 50 प्रतिशत राशि एस्टीमेट में से कम कर दी जावेगी।

अघरेलू सेवा हेतु ली जाने वाली राशि का विवरण (Ready Recknor)

(i) अघरेलू सेवा (ग्रामीण क्षेत्र)

क्र.सं.	विवरण	निर्धारित राशि (रुपये)			
		ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र	
		सिंगल फेज	थ्री फेज	सिंगल फेज	थ्री फेज
1	आवेदन पत्र फीस	200	500	200	500
2	लाईन/प्लान्ट के लिये स्थायी प्रभार	1 KW तक—2000 1 KW से 5 KW तक—3000	5 KW से 10 KW तक—5000 10 KW से अधिक 10 KW से ऊपर—250 रुपये प्रति KW	1 KW तक—3000 1 KW से 5 KW तक—4000	5 KW से 10 KW तक—6000 10 KW से अधिक 10 KW से ऊपर—250 रुपये प्रति KW
3	विद्युत उपभोग प्रतिभूति	200 रुपये प्रति KW	200 रुपये प्रति KW	200 रुपये प्रति KW	200 रुपये प्रति KW
4	मीटर प्रतिभूति	350	650	350	650
5	मीटर बक्से की कीमत	350	950	350	950

7. औद्योगिक श्रेणी में विद्युत कनेक्शन

7.1. उपभोक्ता की श्रेणी तथा सेवा का अभिलक्षण (Category of consumer and character of Service)

लघु औद्योगिक	(1) 5 कि.वा. (6.7 एच.पी.) सम्बद्ध भार (2) 5 कि.वा. (6.7 एच.पी.) से अधिक लेकिन 18.65 कि.वा. (25 एच.पी.) तक सम्बद्ध भार	(1) उपभोक्ता के विकल्प पर एल.टी. सिंगल फेज या तीन फेज (2) एल.टी. तीन फेज
मध्यम औद्योगिक	(1) 18.65 कि.वा. (25 एच.पी.) से अधिक तथा 112 कि.वा. (150 एच.पी) तक सम्बद्ध भार लेकिन संविदा/वास्तविक मांग 50 केवीए तक रहती हो। (2) 18.65 कि.वा. (25 एच.पी.) से अधिक तथा 112 कि.वा. (150 एच.पी) तक सम्बद्ध भार लेकिन संविदा/वास्तविक मांग 50 केवीए से अधिक तथा 125 केवीए तक है।	(1) एल.टी. तीन फेज (2) एच.टी. 11 केवी
वृहद औद्योगिक	(1) 112 कि.वा. (150 एच.पी.) से अधिक सम्बद्ध भार/ या 125 केवीए से अधिक लेकिन 1500 तक की संविदा /वास्तविक मांग (2) संविदा /वास्तविक मांग 1500 केवीए से अधिक लेकिन 5000 केवीए तक (3) संविदा /वास्तविक मांग 5000 केवीए से अधिक	(1) एच.टी. 11 केवी (2) एच.टी. 33 केवी (3) ई. एच.टी. 132 केवी या 220 केवी।

नोट :

1. 150 एचपी (112 कि.वा) से अधिक सम्बद्ध भार वाला वृहद औद्योगिक उपभोक्ता अपनी संविदा मांग 125 केवीए से भी कम रख सकता है। इसी प्रकार अन्य श्रेणी के उपभोक्ता जिनके कनेक्शन एच.टी. सप्लाई का है संविदा मांग 50 केवीए से कम रख सकता है।
2. ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ 24 घंटे थ्री फेज विद्युत आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, 10 कि.वा. सम्बद्ध भार तक सिंगल फेज कनेक्शन स्विच्पिट पोषित योजना में एएमआर मीटर से जारी किये जा सकते हैं।
3. एलटी-एमआईपी उपभोक्ता भी संविदा मांग के अनुसार कनेक्शन ले सकते हैं।
4. अपवादात्मक परिस्थितियों में निगम, किसी उपभोक्ता को आपूर्ति, वोल्टेज स्तर से एक चरण उच्चतर या निम्नतर वोल्टेज पर स्वीकृत कर सकता है। यदि किसी उपभोक्ता/आवेदक ने उसकी संविदा मांग के अनुसार प्रयोज्य आपूर्ति वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज पर आपूर्ति के लिए आवेदन किया है, तो फिर उस उपभोक्ता को पूरी मांग के लिए एचवी/ईएचवी ट्रान्सफार्मर की लागत यथानुपात आधार पर वहन करनी होगी। तथापि, ऐसे मामलों में आपूर्ति, आवेदक की कीमत पर एक डैडिकेटड फीडर से अनुज्ञात की जायेगी और उपभोक्ता को 3 प्रतिशत की दर पर Transformation losses वहन करनी होगी। यह संविदा मांग में आगे और वृद्धि के लिए अनुरोध के मामले में भी लागू होगा। निगम, 5 किवी से कम सम्बद्ध भार वाले घरेलू या अघरेलू उपभोक्ता को तीन फेज आपूर्ति स्वीकृत कर सकता है।

7.2 आवेदन के साथ जमा करायी जाने वाली राशि

1. एलटी आपूर्ति के लिए

क्र.स.	उपभोक्ता की श्रेणी	जमा कराई जाने वाली राशि (रु.)								
1.	लघु उद्योग एवं मध्यम उद्योग	<table> <tr> <td>1 कि.वा तक भार</td><td>रु. 3000/-</td></tr> <tr> <td>1 कि.वा. से अधिक 5 कि.वा. तक</td><td>रु. 4000/-</td></tr> <tr> <td>5 कि.वा. से अधिक 10 कि.वा तक</td><td>रु. 6000/-</td></tr> <tr> <td>10 कि.वा. से अधिक</td><td>10 कि.वा. से ऊपर 250/-रु. प्रत्येक कि.वा. या उसके अंश के लिए अतिरिक्त राशि</td></tr> </table>	1 कि.वा तक भार	रु. 3000/-	1 कि.वा. से अधिक 5 कि.वा. तक	रु. 4000/-	5 कि.वा. से अधिक 10 कि.वा तक	रु. 6000/-	10 कि.वा. से अधिक	10 कि.वा. से ऊपर 250/-रु. प्रत्येक कि.वा. या उसके अंश के लिए अतिरिक्त राशि
1 कि.वा तक भार	रु. 3000/-									
1 कि.वा. से अधिक 5 कि.वा. तक	रु. 4000/-									
5 कि.वा. से अधिक 10 कि.वा तक	रु. 6000/-									
10 कि.वा. से अधिक	10 कि.वा. से ऊपर 250/-रु. प्रत्येक कि.वा. या उसके अंश के लिए अतिरिक्त राशि									

2. एच.टी. आपूर्ति के लिये रुपये 10000/-

1. उपरोक्त राशि 50 मीटर तक सर्विस लाईन हेतु है सविस लाईन का 50 मीटर से अधिक विस्तार होने पर सिंगल फेज लाईन के लिये 100 रु. प्रति मीटर एवं थ्री फेज लाईन के लिये 150 रु प्रति मीटर की दर से अतिरिक्त राशि देनी होगी।
2. एक ही परिसर में, एक ही नाम से एक से अधिक औद्योगिक श्रेणी में कनेक्शन जारी नहीं किये जायेंगे।

7.3 ग्रामीण क्षेत्र के गैर आबादी क्षेत्र में औद्योगिक कनेक्शन

(a) ब्लॉक सप्लाई हेतु

1. गैर आबादी क्षेत्र में औद्योगिक श्रेणी के कनेक्शन देने हेतु शुरू में ट्रांसफार्मर और लाइन की कीमत आवेदक को जमा करानी होती है।
2. उपरोक्त राशि में से ट्रांसफार्मर की कीमत कनेक्शन जारी होने के एक वर्ष पश्चात् मासिक/द्विमासिक बिलों में समायोजित कर लौटा दी जाएगी।
3. उपरोक्त प्रावधान लागू करने हेतु वर्तमान में स्थापित ट्रांसफार्मर से कनेक्शन नहीं दिया जाएगा अपितु प्रत्येक कनेक्शन हेतु अलग—अलग लाईन एवं ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा।
4. क्योंकि ट्रांसफार्मर सब स्टेशन अकेले आवेदक के लिये लगाया जायेगा अतः ट्रांसफार्मर सब स्टेशन की सुरक्षा हेतु शपथ—पत्र (Undertaking) 50रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुलग्नक 'स' के प्रारूपानुसार देना होगा।

(b) 24 घण्टे सप्लाई हेतु

1. 11 के.वी. लाईन एवं 11/0.4 के.वी. ट्रांसफार्मर सब—स्टेशन की सम्पूर्ण कीमत उपभोक्ता को वहन करनी होगी, जो कि वापस देय नहीं होगी।
2. इस मामले में एल.टी साईड पर मीटरिंग उपकरण प्रदत्त किया जा सकता है और ऐसे मामलों में ट्रांसफोरमेशन लोसेज की पूर्ति हेतु अभिलिखित यूनिटों में 3 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। जिसकी स्वीकृति संबंधित अधीक्षण अभियंता से लेनी होगी।

7.4 ग्रामीण क्षेत्र (छितरायें हुए परिसर) में 10 कि.वा. तक कनेक्टेड लोड (Connected Load) के लिये सिंगल फेज लघु औद्योगिक श्रेणी कनेक्शन

10 कि.वा तक सम्बद्ध भार एवं 24 घंटे सिंगल फेज सप्लाई के लिये (जहा 24 घण्टे 3 फेज आपूर्ति उपलब्ध नहीं हो) ब्लॉक सप्लाई फीडर आदेश क्रमांक 2417 दिनांक 21.2.2018 (जेपीआर5—928) के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नानुसार कनेक्शन जारी किये जाने का प्रावधान है।

- (i). 10 कि.वा. कनेक्टेड लोड हेतु ग्रामीण छितरायें क्षेत्रों में कनेक्शन सिंगल फेज लाईन एवं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर सब स्टेशन से दिये जायेंगे। सबसे नजदीक 11 केवी लाईन से तकमीना बनाकर कनेक्शन दिये जायेंगे।
- (ii). 11 केवी लाईन एवं 11/0.4 के.वी. ट्रांसफार्मर व सब-स्टेशन की पूरी कीमत आवेदक द्वारा वहन की जायेगी।
- (iii). उपरोक्त जमा कराई गयी राशि लौटाई नहीं जावेगी।
- (iv) उपरोक्त कनेक्शन AMR मीटर लगाकर जारी किये जाने का प्रावधान है। जब तक बाजार/निगम स्टोर में AMR मीटर उपलब्ध नहीं है एवं निगम का तंत्र AMR मीटर की रीडिंग एवं डेटा हेतु विकसित नहीं हुआ हो। तब तक आदेश क्रमांक 2615 दिनांक 15.3.2018 (जेपीआर 5—937) के अनुसार आवेदक स्वयं सिंगल फेज एनर्जी मीटर (10—60 ऐम्पीयर और अधिक रेटिंग) खरीदकर जेवीवीएनएल के मीटर लैब में टेस्टिंग फीस जमा करवाकर चैक करवाकर लगवाया जावेगा। अगर आवेदक के द्वारा उपरोक्त क्षमता का मीटर उपलब्ध नहीं करवाया जाता है तो यह कनेक्शन निगम के थ्री फेज एनर्जी मीटर के एक फेज को उपयोग करके जारी किये जाने का प्रावधान है।
- (v). आवेदक लोड Reduction/वोल्टेज लेवल में परिवर्तन (थ्री फेज से सिंगल फेज) लोड 10 कि.वा. तक के लिए आवेदन करता है तो आदेश क्रमांक 2663 दिनांक 23.3.2018 (जेपीआर 5—941) के अनुसार सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की सम्पूर्ण राशि जेपीआर 5—863 के तहत एस्टीमेट में ली जावेगी तथा हटाये गये थ्री फेज ट्रांसफार्मर की 50 प्रतिशत राशि एस्टीमेट में से कम कर दी जावेगी।

7.5 पीने का पानी की आपूर्ति हेतु विद्युत कनेक्शन

7.5.1 शहरी क्षेत्र में

शहरी क्षेत्र में पीने के पानी की सप्लाई हेतु सिर्फ 3 फेज विद्युत कनेक्शन औद्योगिक श्रेणी में “जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी” (**PHED**) अथवा ग्राम पंचायत अथवा अन्य सरकारी ऐजेन्सी को डिपोजिट वर्क (**Deposit Work**) के अन्तर्गत निगम द्वारा कार्य किया जाकर कनेक्शन जारी किये जायेंगे। यद्यपि एल.टी. सप्लाई के प्रत्येक कनेक्शन के लिये अलग-अलग ट्रांसफार्मर सब-स्टेशन लगाये

जायेगें। 11 केवी लाईन तथा ट्रांसफार्मर सब स्टेशन की पूरी कीमत आवेदक को वहन करनी होगी जो कि लौटायी नहीं जायेगी।

7.5.2 ग्रामीण क्षेत्र में

(A) आबादी क्षेत्र में

पीने के पानी की सप्लाई हेतु आदेश क्रमांक 2463 दिनांक 10.10.08 (जे.पी.आर. 5-509) के अन्तर्गत निर्धारित निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार विद्युत कनेक्शन जारी किये जायेंगे :—

- (i) 5 हार्सपावर तक सम्बद्ध भार (**Connected Load**) के लिए सिर्फ सिंगल फेज कनेक्शन 5 केवीए के ट्रांसफार्मर से जारी किये जायेंगे।
- (ii) ऐसा कनेक्शन किसी के व्यक्तिगत नाम में जारी नहीं किये जायेंगे। यह कनेक्शन “जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग (**PHED**)” अथवा ग्राम पंचायत अथवा अन्य सरकारी एजेन्सी द्वारा लिया जा सकता है।
- (iii) आवेदक को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि यह कनेक्शन गॉव में पीने के पानी की आपूर्ति के लिये जरूरी हैं
- (iv) उपरोक्त सिंगल फेज कनेक्शन सिर्फ आबादी क्षेत्र में ही जारी किया जायेगा।
- (v) इस कनेक्शन हेतु 11 के.वी. सिंगल फेज लाईन एवं सिगल फेज 5 के.वी.ए के वितरण ट्रांसफार्मर की सम्पूर्ण राशि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग अथवा सरपंच अथवा अन्य सरकारी एजेन्सी द्वारा लिया जा सकता है।
- (vi) सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पर ही मीटर लगाया जायेगा।
- (vii) क्योंकि प्रत्येक ट्रांसफार्मर सब स्टेशन अकेले आवेदक के लिय लगाया जायेगा अतः ट्रांसफार्मर सब स्टेशन की सुरक्षा हेतु शपथ पत्र (**Undertaking**) 50 रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुलग्नक ‘स’ के प्रारूपानुसार देना होगा।

(B) गैर आबादी क्षेत्र में

(a) ब्लॉक सप्लाई हेतु :

ब्लॉक सप्लाई वाले कनेक्शन आदेश क्रमांक 416 दिनांक 13.2.08 (जे.पी.आर. 5-445) के अन्तर्गत निर्धारित निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जारी किये जायेंगे।

- (i) पीने के पानी की सप्लाई हेतु गैर आबादी क्षेत्र में ब्लॉक सप्लाई हेतु सिर्फ 3 फेज विद्युत कनेक्शन ही दिया जाएगा।
- (ii) वर्तमान में स्थापित ट्रांसफार्मर से कनेक्शन नहीं दिया जाएगा अपितु प्रत्येक कनेक्शन हेतु अलग—अलग लाईन एवं ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा।
- (iii) क्योंकि प्रत्येक ट्रांसफार्मर सब स्टेशन अकेले आवेदक के लिये लगाया जायेगा अतः ट्रांसफार्मर सब स्टेशन की सुरक्षा हेतु शपथ—पत्र (**Undertaking**) 50 रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुलग्नक ‘स’ के प्रारूपानुसार देना होगा।
- (iv) ट्रांसफार्मर सब स्टेशन एवं लाईन का पूरा खर्चा उपभोक्ता को वहन करना होता है।
- (v) आदेश क्रमांक 3015 दिनांक 19.12.08 (जेपीआर5—523) के अनुसार ट्रांसफार्मर सब—स्टेशन एवं लाईन की राशि वापिस नहीं लौटाई जायेगी।

(b) 24 घंटे सप्लाई हेतु

24 घंटे सप्लाई चाहने वाले कनेक्शन आदेश क्रमांक 2124 दिनांक 1.11.07 (जेपीआर 5—432) के अन्तर्गत निर्धारित निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जारी किये जायेंगे।

- (i) यह सुविधा औद्योगिक कनेक्शन श्रेणी के उपभोक्ता को ही मिलेगी।
- (ii) सबसे नजदीकी निगम के 33/11 के.वी. सब—स्टेशन से लाईन खींचकर डिपोजिट वर्क्स के अन्तर्गत कनेक्शन जारी किया जायेगा।
- (iii) 11 के.वी. लाईन एवं 11/0.4 के.वी. ट्रांसफार्मर सब स्टेशन की कीमत “जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग” (**PHED**)“ अथवा ग्राम पंचायत अथवा अन्य सरकारी एजेन्सी द्वारा लिया जा सकता है।
- (iv) उपरोक्तानुसार जमा करवाई हुई ट्रांसफार्मर सब—स्टेशन एवं लाईन की राशि वापिस नहीं लौटाई जायेगी।
- (v) इस मामले में एल टी साईड पर मीटरिंग उपकरण प्रदत्त किया जा सकता है। और ऐसे में टैरिफ प्रावधानुसार ट्रांसफोरमेशन लोसेज की पूर्ति हेतु अभिलिखित यूनिटों में 3 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

8. रीको (RIICO) औद्योगिक क्षेत्र का विद्युतीकरण

भार की आवश्यकता की पूर्ति हेतु रीको औद्योगिक क्षेत्रों तक मुख्य फीडर लाइने अर्थात् 132/33/11 केवी लाइनें बिछाने तथा विद्यमान और नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए आपेक्षित सहबद्ध (33 केवी) सब-स्टेशनों, यदि कोई है, का कार्य निगम अपने स्वयं के बजट में से हाथ में लेगा।

इसके पश्चात् औद्योगिक क्षेत्र के भीतरी हिस्से में बिछायी जाने वाली सभी उप औद्योगिक क्षेत्र के भीतरी हिस्से में बिछायी जाने वाली सभी उपप्रसारण तथा वितरण लाइनों की कीमत रीकों द्वारा वहन की जाएगी जबकि वितरण सब-स्टेशनों की कीमत निगम द्वारा वहन की जाएगी। विद्युतीकरण की योजनाओं निगम के अधीक्षण अभियन्ता (प एवं स) के परामर्श से तैयार करनी होगी।

नए औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास कार्य या तो निगम द्वारा निष्केप कार्य के रूप में सम्पादित किया जायेगा या रीको द्वारा और पूरा होने के पश्चात् निगम को सुपुर्द किया जाएगा तथापि यदि कार्य रीको द्वारा सम्पादित किया जाता है तो कीमत का 5% पर्यवेक्षण प्रभार रीको द्वारा निगम को देना होगा।

मांग पत्र दो प्रवर्गों में बनाया जायेगा। भाग (ए) उपभोक्ता की परिसर तक सार्वजनिक सड़कों पर स्थापित की जाने वाली उप-प्रसारण/वितरण लाइनों की कीमत का होगा तथा भाग (बी) उपभोक्ता की परिसर की भीतर सर्विस लाइन की कीमत तथा प्रतिभूति निष्केप आदि का होगा। ऐसे मांग पत्र की प्रतिलिपि उपभोक्ता तथा रीको के सम्बन्धित कार्यालय दोनों को भिजवायी जाएगी। रीको मांग पत्र के भाग—ए की कीमत जमा कराने की व्यवस्था करेगा जबकि उपभोक्ता मांग पत्र के भाग—बी की कीमत जमा करवाएगा।

9. प्राइवेट औद्योगिक क्षेत्र का विद्युतीकरण:-

आदेश संख्या जेपीआर5—788 के अनुसार अनुमानित डिजाइन मांग के अनुसार निजी औद्योगिक क्षेत्र का विद्युतीकरण 33 केवी या अधिक आपूर्ति वोल्टेज पर किया जायेगा, जिसके लिए प्रति हजार वर्ग फीट 10 किलोवाट लोड व सभी भूखण्डों का लोड का 50 प्रतिशत 0.9 पावर फैक्टर मानते हुए अनुमानित डिजाइन मांग की गणना की जायेगी। सक्षम प्राधिकारी के द्वारा तकनीकी स्वीकृति दी जायेगी। निजी औद्योगिक क्षेत्र के विद्युतीकरण के लिए निकटतम तकनीकी रूप से साध्य 220 केवी/132 केवी जीएसएस या 33 केवी जीएसएस से डेडिकेटड 33 केवी लाईन प्रस्तावित औद्योगिक

क्षेत्र तक बिल्डर की लागत पर खींची जायेगी। 1500 के वीए की डिमाण्ड पर 11 के वी लाईन पर चार्ज किया जायेगा। 1500 के वीए से अधिक डिमाण्ड होने पर उपयुक्त क्षमता के पावर ट्रांसफार्मर बिल्डर की लागत पर निगम द्वारा प्रदान किए जायेंगे। यदि अनुमानित डिजाइन की मांग 1500 के वीए से कम है और बिल्डर ने औद्योगिक क्षेत्र को विद्युतीकृत नहीं किया है तो व्यक्तिगत आवेदक को विद्युतीकरण के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा एवं भूखण्ड की साईज अनुसार अनुपातिक रूप से कुल विद्युतीकरण की लागत वसूल अनुरूप कर करनेकशन जारी किया जायेगा।

बिल्डर की लागत पर सभी आन्तरिक उप-संचरण (सब-ट्रांसमिशन) और वितरण नेटवर्क विकसित किए जायेंगे। बिल्डर सभी संभावित उपभोक्ताओं को वितरण ट्रांसफार्मर/करनेकशन प्रदान करने के लिए प्रत्येक 2 भूखण्डों के बीच डबल पोल स्ट्रक्चर प्रदान करेगा।

सिविल कार्यों के साथ 33/11 के वी जीएसएस के निर्माण के लिए 1500 वर्ग मीटर जमीन बिल्डर द्वारा निगम को Free of cost उपलब्ध करायी जायेगी। औद्योगिक क्षेत्र के अनुमानित डिजाइन मांग 15000 के वीए से अधिक होने पर 5000 वर्ग मीटर जमीन 132 के वी जीएसएस के निर्माण के लिए Free of cost बिल्डर द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

पावर ट्रांसफार्मर के इन्स्टालेशन के लिए अनुमानित लागत बिल्डर से विद्युतीकरण कार्य के शुरू होने से पहले वसूल की जायेगी और आवश्यकतानुसार निगम द्वारा ट्रांसफार्मर लगाये जायेंगे।

10. रीको (RIICO) औद्योगिक क्षेत्र से बाहर लाइनों का विस्तार (Extension of lines beyond RIICO Industrial Areas)

एल टी लाइनों का रीको औद्योगिक क्षेत्र से बाहर विस्तार नहीं किया जाएगा, परन्तु औद्योगिक क्षेत्र से सन्निकट किसी औद्योगिक करनेकशन के मामले में यदि विद्यमान लाइन से तकनीकी रूप से साध्य है तो 30 मीटर की लम्बाई की सीमा तक ऐसा करनेकशन केवल सर्विस लाइन केबिल द्वारा दिया जा सकता है।

यदि प्रस्तावित औद्योगिक/अघरेलू भार रीको औद्योगिक क्षेत्र की सीमा से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान है तो औद्योगिक क्षेत्र में विधमान 11 के वी लाइन का, तकनीकी साध्यता के अध्यधीन, औद्योगिक/अघरेलू भारों को विद्युतापूर्ति हेतु रीको औद्योगिक क्षेत्र की परिधि से बाहर 1 कि.मी की सीमा तक विस्तार किया जा सकता है ऐसा करनेकशन आवेदक के भार को ध्यान में न रखते हुए 11 के वी पर मीटरिंग के साथ 11 के वोल्टेज पर ही दिया जाएगा आपूर्ति प्रदान किए जाने का व्यय उपभोक्ता द्वारा भाग—।। के अनुसार वहन किया जाएगा।

यदि प्रस्तावित औद्योगिक/अ-घरेलू भारों की अवस्थिति (Location) ग्रामीण क्षेत्रों में है और 11 केवी लाइन का विस्तार 1 किमी से अधिक किया जाना है तो औद्योगिक क्षेत्र को सम्परण करने वाले 33/11 केवी सब-स्टेशन से ऐसे भारों को आपूर्ति हेतु, एक पृथक फीडर स्थापित किया जाएगा। ऐसा कनेक्शन, आवेदक के भार को ध्यान में रखते हुए 11 केवी पर मीटिंग के साथ 11 केवी वोल्टेज पर ही दिया जाएगा। आपूर्ति प्रदान किए जाने का व्यय उपभोक्ता द्वारा भाग—।। के अनुसार वहन किया जाएगा।

नोटः— उपभोक्ता को व्यक्तिगत कनेक्शन जारी करने के लिए निगम के 33 केवी फीडर जो कि 33/11 केवी सब-स्टेशन से विद्युत आपूर्ति करते हैं, रेलवे और पी.एच.ई.डी. के 33 केवी डैडिकेड फीडर को टैप नहीं किया जावेगा।

11. कनेक्शन दिए जाने में प्राथमिकता (Priority in release of connection)

औद्योगिक कनेक्शनों जिनके लिए नए ट्रांसफार्मर की अधिष्ठापना वांछित है और जिनके लिए नए ट्रांसफार्मर की अधिष्ठापना वांछित नहीं है, के लिए पृथक—पृथक प्राथकिमता संधारित की जाएगी।

ऐसे बृहद औद्योगिक कनेक्शनों, जिन्हे आपूर्ति 11 केवी पर की जानी है, परन्तु आवेदक 11 केवी से उच्चतर वोल्टेज पर आपूर्ति चाहता है, की प्राथमिकता अलग से संधारित की जाएगी।

12. अनुबन्ध तथा अनुबन्धावधि (Agreement and agreement period)

150 एच पी (112 कि.वा.) से अधिक सम्बद्धभार या 125 केवीए से अधिक संविदा मांग रखने वाले औद्योगिक उपभोक्ता को निगम के साथ प्रपत्र—।। के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा विहित किए जाने वाले मूल्य—।। के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा विहित किए जाने वाले मूल्य (वर्तमान में 10/- रु.) के न्यायेत्तर मुदांक पर एक अनुबन्ध करना होगा। अन्य उपभोक्ताओं की ऐसे अनुबन्ध की आवश्यकता नहीं होगी और प्रपत्र—। या ।।। जैसी भी रिस्थिति है, ही अनुबन्ध होगा। दोनों ही मामलों में कनेक्शन दिए जाने की तिथि ही अनुबन्ध के प्रारम्भण की तिथि होगी।

कोई भी एक पक्ष दूसरे पक्ष को एक महीने का नोटिस देकर विद्युत आपूर्ति हेतु किए गए अनुबन्ध को समाप्त कर सकता है। अनुबन्ध अपवादों को छोड़कर एक माह की नोटिस अवधि सहित, अनुबन्ध की एक वर्ष की प्रारम्भिक अवधि की समाप्ति से पूर्व समाप्त नहीं किया जा सकेगा।

13. भार/मांग में वृद्धि, कमी तथा परिवर्तन (Increase, decrease and alteration of load)

भार/मांग में वृद्धि/कमी के कारण आवश्यक हुए किन्हीं परिवर्तनों के मद पर निगम द्वारा व्यय की गयी लागत, निगम के सब स्टेशन का छोड़कर, उपभोक्ता द्वारा वहन की जाएगी।

सम्बद्ध भार/संविदा मांग में किसी वृद्धि के मामले में, आवेदक द्वारा 45 दिवस का नोटिस दिया जायेगा। भार/मांग में वृद्धि के लिये सम्बन्धित उपखण्डीय कार्यालय में प्रतिभूति तथा विद्युत लाईन/संयंत्र तथा वितरण मुख्यों के विस्तार या संयंत्र की लागत, यथास्थिति, के प्रति राशि के साथ पूर्ण किये गये आवेदन की प्राप्ति की तिथि ही, नोटिस की तिथि मानी जायेगी। यदि निगम प्रस्तावित वृद्धि के लिए, ऐसे नोटिस की अवधि में, स्वीकृति देने या मनाही करने के कारण संसूचित करने में विफल रहता है या सम्बद्ध भार/संविदा मांग प्रस्तावित वृद्धि स्वीकृत नहीं की जाती है, तो सुसंगत प्रमाणीकरण तथा/या उपभोक्ता द्वारा निगम के तन्त्र पर वृद्धित भार मांग डाले जाने के बारे में लिखित सूचना दिये जाने के अध्यधीन, तो ऐसी वृद्धि स्वीकृत की हुई मानी जायेगी। नोटिस अवधि की समाप्ति पर, उपभोक्ता को, उसके पश्चात अन्य शर्तों को पूरा किये जाने के अध्यधीन, तदनुसार विपत्रित किया जायेगा:

बशर्ते कि उपर्युक्त मानित सम्बद्ध भार भार/संविदा मांग में वृद्धि निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी:

- (क) अन्तर्गत वितरण तन्त्र अतिभारित नहीं है या यह तकनीकी रूप से साध्य है।
- (ख) क्या आवेदक द्वारा तकनीकी साध्यता के लिये नयी लाईन खींचने हेतु किसी अतिरिक्त राशि के जमा करवाये जाने की आवश्यकता है।
- (ग) उपभोक्ता का उसके स्वयं के तन्त्र को, विद्यमान सब-स्टेशन की क्षमता में, नया अधिष्ठापन/परिवर्तन कर संवर्धन करने की आवश्यकता होगी तथा अपेक्षित अधिष्ठापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

तथापि आपूर्ति के वोल्टेज में परिवर्तन अन्तर्गर्लीन होने पर भार/मांग में वृद्धि/कमी के मामले में उपभोक्ता को अपेक्षित ट्रांसफार्मर सब-स्टेशन स्थापित व चालू करना होगा और उस मामले में भार/मांग में वृद्धि माने जाने की समय सीमा वहीं होगी जो नए कनेक्शन दिए जाने के लिए विहित है।

13.1 भार/मांग में वृद्धि

1. निगम आवश्यक स्वीकृति तकनीकी साध्यता की परीक्ष करने के बाद देगा।
2. उपभोक्ता को भार/मांग में वृद्धि अनुबन्ध की प्रारम्भिक अवधि में भी अनुमत की जाएगी।
3. (a) यदि किसी एचटी उपभोक्ता के लिए सर्विस लाइन का सदृढ़ीकरण किया जाना है तो ऐसे सृदृढ़ीकरण की सम्पूर्ण लागत, नए कनेक्शन के लिए प्रभारों के आधार पर, उपभोक्ता द्वारा वहन की जाएगी।
4. जब तक सभी देयताओं का उपभोक्ता द्वारा नहीं कर दिया जाता है। भार/मांग में मांगी गयी वृद्धि अनुमत नहीं होगी।

13.2 भार/मांग में कमी (decrease in load/demand)

1. अनुबन्ध की प्रारम्भिक अवधि के समाप्त होने तक भार/मांग में कमी अनुमत नहीं की जाएगी।

2. भार/मांग में एक बार जो वृद्धि/कमी कर दी गयी है, उसमें वृद्धि/कमी किए जाने के एक वर्ष के अन्दर—अन्दर आगे और कभी अनुमत नहीं की जाएगी।
3. जहाँ अनुबन्ध की प्रारम्भिक अवधि समाप्त हो चुकी है और वह स्थायी विच्छेदन या सम्बद्धभार/संविदा मांग में कमी चाहता है तो उपभोक्ता लिखित में एक महीने का नोटिस देगा। उपभोक्ता एक महीने से कम नोटिस पर भी, एक महीने के न्यूनतम विपत्रण की राशि का भुगतान पर कनेकशन को स्थाई विच्छेदित करवा सकता है।

अनुलग्नक

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन—सह—अनुबन्ध—पत्र (नियमित/अस्थाई)

नये विद्युत सम्बन्ध (स्थायी/अस्थायी) के लिए/स्वीकृत भार बढ़ाने अथवा घटाने/नाम परिवर्तन(स्वामी वही)/कनेक्शन ट्रांसफर (स्वामित्व का परिवर्तन)/वर्तमान कनेक्शन शिपट करने/वर्तमान कनेक्शन की श्रेणी में परिवर्तन इत्यादि के लिए आवेदन पत्र

सहायक अभियन्ता ()

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

..... |

1. आवेदक का नाम पिता/पति का नाम
2. परिसर का पूर्ण पता

मकान/भूखण्ड/दुकान सं.
खसरा सं./गली
ग्राम/मोहल्ला
तहसील/नगर
जिला
3. पता जहाँ विद्युतापुर्ति व अन्य देयताओं के विपत्र भिजवाये जाने हैं।
.....
4. टेलिफोन नं. मोबाइल नं.
ई—मेल
5. कनेक्शन की श्रेणी

1. घरेलू	2. अघरेलू	(दुकान, कार्यालय, होटल, मन्दिर, अस्पताल, स्कूल, धर्मशाला हेतु)	
3. कृषि	4. लघु उद्योग	5. मध्यम उद्योग	6. मिश्रित भार
7. सार्वजनिक रोशनी	8. वृहत् उद्योग		
6. आवेदक की स्थिति

1. मकान मालिक	2. किरायेदार	3. कब्जेदार
---------------	--------------	-------------
7. आवेदन का प्रकार
 - I. नया विद्युत संबंध किलोवाट/हा.पा./केवीए स्थाई/अस्थाई
 - II. भार वृद्धि/घटाना खाता सं. किलोवाट हा.पा. से
..... किलोवाट/हा.पा./संविदा मांग केवीए से
..... केवीए
 - III. वर्तमान कनेक्शन खाता सं. शिपिंग हेतु से
..... को

- IV. वर्तमान कनेक्शन खाता सं का नाम परिवर्तन
..सेको
- V. श्रेणी परिवर्तन खाता सं के श्रेणी में परिवर्तन हेतु श्रेणी से
.....श्रेणी में।
- VI. वर्तमान कनेक्शन खाता संख्याजो श्रीके नाम
से है उसे का ट्रांसफर करने हेतु।
7. बैंक खाते का विवरण खाता सं.(बचत/चालू)बैंक का नाम एवं
शाखा.....
(पासबुक के प्रथम व अन्तिम लेन-देन के पृष्ठ की प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करें।)
8. संलग्न दस्तावेज अधिष्ठापना प्रमाण पत्र /शतथ पत्र किरायेदार/कब्जे होने पर
अनुबन्ध पत्र अथवा
क्षतिपूर्ति का पत्र मकान मालिक होने पर प्रमाण हेतु दस्तावेज
(नाम/श्रेणी परिवर्तन में आवश्यकता नहीं) पहचान प्रमाण पत्र
तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र (कृपिं) कनेक्शन के लिए
(मुखिया का राशन कार्ड /ड्राइविंग लाईसेंस /मतदाता का पहचान पत्र/आयकर पेन कार्ड)
9. मीटर स्वामित्व आवेदक का/जयपुर विद्युत वितरण निगम का
10. मैंने इस आवेदन /अनुबन्ध प्रपत्र के पीछे सभी शर्तें पढ़ एवं समझ ली हैं। इन सभी शर्तों में तथा विद्युत आपूर्ति हेतु शर्तें एवं निब्धन-2004 () की अन्य शर्तों से मैं सहमत हूँ। इस प्रार्थना पत्र में कोई भी गलत सूचना देने पर अनुबन्ध हट सकता है। यदि विद्युत सम्बन्ध दे दिया गया है तो इस आधार पर विद्युत सम्बन्ध काटा जा सकता है। मैं अपने विद्युत फिटिंग स्वयं सुरक्षा एवं देख रेख करुंगा और सुरक्षा नियमों का पालन करुंगा।

साक्षी के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

नाम.....

पता

पता

दिनांक

.दिनांक

कार्यालय उपयोग हेतु:-आवेदक द्वारा जमा कराई गई (सहायता हेतु पीछे क्रम संख्या 1 व 2 देंखें)

1. प्रार्थना पत्र शुल्क
2. विद्युत लाईन/सयंत्र/सर्विस लाईन के लिए राशि
3. मीटर बाक्स कीमत
4. मीटर सुरक्षा राशि.....

5. विद्युत उपभोग सुरक्षा राशि.....
 अग्रिम राशि.....
6. अन्य
-

योग.....

आवेदन भरने हेतु सहायक जानकारी

आवेदन/अनुबन्ध के क्रम संख्या 6 (i) में (आवेदित सम्बद्ध भार की गणना निम्नानुसार करें)

क्र.सं.	भार का वर्णन	संख्या	वाटेज	कुल वॉटेज
1	2	3	4	5=(3x4)
1	बल्ब/फेन/लाईट प्लग (5 एम्पीयर)		60 वॉट	
2	CFL/LED		7/15 वॉट	
3	ट्यूब लाईट		40 वॉट	
4	टेलीविजन कलर /श्याम श्वेत		100 वॉट / 60 वॉट	
5	पावर प्लग (15 एम्पीयर)		500 वॉट	
6	फ्रिज/कूलर		250 वॉट	
7	गीजर		1500 वॉट	
8	एयर कंडीशनर 1 टन /1.5 टन		1500/2200 वॉट	

नोट :-

- घरेलू श्रेणी के नये कनेक्शनों तथा अन्य गतिविधियों (कनेक्शन के स्थानान्तरण को छोड़कर) के लिए आवेदन शुल्क देय नहीं है।
- भार घटाने ,वर्तमान कनेक्शन शिपिटंग ,कनेक्शन नाम परिवर्तन(ट्रांसफर) हेतु (पूर्व कनेक्शन धारी द्वारा सहमति होने पर) सुरक्षा राशि देय नहीं है।
- दस्तावेज संलग्न करें—

- परिवर्तित स्थान के स्वामित्व के दस्तावेज की प्रति
- अधिष्ठापना प्रमाण पत्र (Installation Certificate) – परिसर में बिजली की फिटिंग विद्युत अधिनियम 2003 के अनुरूप है, का सर्टिफिकेट। ग्रामीण क्षेत्र हेतु शपथ पत्र मान्य है।
- आवेदक के किरायेदार/कब्जेदार होने पर संलग्न किये जोने वाले दस्तावेज का प्रारूप – मकान मालिक द्वारा हस्ताक्षर कर दिये जाते हैं तो अनुबन्ध पत्र संलग्न करना होगा अन्यथा क्षतिपूर्ति बंध पत्र संलग्न करना होगा।

आवेदन/अनुबन्ध की शर्तें

1. मैं/हम विद्युतापूर्ति की मात्रा के मापन के लिए आवश्यक मीटर चाहता हूँ/चाहत हैं मैं/हम मेरी/ हमारी परिसर पर निगम के अधिष्ठापित मीटर तथा अन्य उपस्करणों को हुयी किसी भी हानि क्षति के लिए पूर्णतः उत्तरदायी हूँगा/होंगे।
2. मैं/हम आपूर्ति की प्रारम्भण तिथि से कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए वास्तविक प्रयोजनार्थ विद्युतापूर्ति लेने के लिए वचनबद्ध हूँ/है
(अस्थाई आपूर्ति के मामले में ————— अवधि के लिए) तथा अग्रेतर मैं/हम उस आपूर्ति के लिए समय—समय पर प्रयोज्य टैरिफ दरों से भुगतान के अतिरिक्त ऐसे समस्त प्रभारों जो कि हेतु शर्तोंएव निबन्धनों में अन्तविष्ट प्रावधानों या किन्हीं अन्य नियमों विनियमों के अनुसार मेरे/हमारे द्वारा देय होंगे, का भी भुगतान करने के लिए सहमत हूँ/है।
3. मैं/हम सहमत हूँ/है कि मुझे/हमे/मेरी/हमारी परिसर पर अधिष्ठापित सर्विस लाइन या उपस्कर से किसी अन्य आवेदक को विद्युतापूर्ति के निगम के अधिकार के सम्बन्ध में किसी भी समय कोई आपत्ति नहीं होगी।
4. मैं/हम निगम द्वारा सूचित प्रतिबन्धित घण्टों के दौरान विद्युत ऊर्जा का उपयोग न करने के लिये सहमत हूँ/है।
5. कनेक्शन दिये जाने की दशा में यह आवेदन पत्र कनेक्शन के दिए जाने की तिथि से इसे नए अनुबन्ध द्वारा प्रतिस्थापित कर दिये जाने तक या जब तक इस विद्युतापूर्ति के लिए शर्ते एवं निबन्धन-2004 (संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार समाप्त कर दिये जाने के समय तक अनुबन्ध समझा जाएगा। वृहद औद्योगिक श्रेणी के लिए आवेदक से जब भी ऐसा करने के लिए कहा जाए निगम के साथ प्रपत्र (अनुलंगनक-5) में पृथक अनुबन्ध निष्पादित करेगा।
6. यह अनुबन्ध विद्युत की आपूर्ति हेतु शर्त एवं निबन्धन-2004(संशोधित तथा समय—समय पर प्रवर्तित विद्युतापूर्ति हेतु दरें, जो इस अनुबन्ध के अंग होंगे, के समस्त प्रावधानों के संदर्भ में पढ़ा व समझा जाएगा। विद्युत अधिनियम, 2003 के संबद्ध प्रावधान तथा उसके अन्तर्गत बनाये गए नियम तथा विनियम अथवा उसमें अनुवर्ती संशोधन या आशोधन, प्रशासी प्रावधान होंगे।

अनुबन्ध— पत्र

(50 रु के नॉन ज्यूडिशयल स्टॉम्प पेपर पर)

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने यह
(स्थान का पूर्ण विवरण) जो कि नगर परिषद /अन्य स्थानीय निकाय में
स्थित है मैसर्स/ श्री निवासी
को किराये पर दे दिया है तथा उक्त भवन में विद्युत कनेक्शन देने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं
है। मैं इस बात की गारन्टी देता हूँ कि जब भी किरायेदार, मकान/दुकान /
..... खाली करेगा तो इस बात का पूरा —पूरा ध्यान रखँगा कि निगम की राशि बकाया न
रहे। ऐसा न होने की स्थिति में मैं स्वयं निगम की बकाया रकम का देनदार रहँगा।

हस्ताक्षर किराएदार

साक्षी

हस्ताक्षर मकान मालिक

कृषि श्रेणी के आवेदकों से लिये जाने वाले “शपथ पत्र का प्रपत्र”

शपथ पत्र

मैं/हम ----- सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री ----- जाति
----- निवासी ग्राम/शहर ----- शपथपूर्वक बयान करता
हूँ/करते हैं कि मेरा/हमारा कुआं ----- ग्राम के भू राजस्व क्षेत्र में स्थित है तथा
मेरा/हमारा कुआं/बोरिंग राजस्व अभिलेख के अनुसार खसरा नं0 ----- में स्थित है
और यह खेती के कार्य में ही उपयोग में लिया जाता है। इस कुएं व खेत का मैं/हम स्वयं
ही मालिक हूँ/हैं। इस शपथ पत्र में उल्लेखित कोई भी तथ्य गलत पाया जाता है तो उसके
लिए मेरी/हमारी जिम्मेदारी रहेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

क्षतिपूर्ति बंध पत्र

(500 रु के नॉन ज्यूडिशयल स्टॉम्प पेपर पर)

जैसा कि मै.....पुत्र/पत्नी श्रीउम्रवर्ष
निवासी.....ने सहायक अभियन्ताज.वि.वि.नि.....के
कार्यालय में विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया है। जैसा किज.वि.वि.नि. ने
उक्तस्थित मकान/दुकान.....को मेरे द्वारा अपेक्षित विद्युत कनेक्शन के
लिए मकान /दुकान मालिक की सहमति मांगी है।

जबकि मैं मकान/दुकान मालिक का सहमति पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ हूँ। चूंकि ज.वि.वि.
नि.लि., ने इस सम्बन्ध में मुझ से लिखित वचन चाहा है कि अगर मैं और मकान/दुकान
मालिक के मध्य इस विद्युत कनेक्शन के सम्बन्ध में किसी न्यायालय के समक्ष विवाद उत्पन्न
होता है तो निगम इस मामले में शामिल नहीं होगा फिर भी निगम को इस कारण हुई किसी
भी प्रकार की क्षति/खर्चों की क्षतिपूर्ति करने का मैं वचन देता हूँ। अतः यह अनुबन्ध मकान
/दुकान मालिक की बिना सहमति के निगम द्वारा मुझे उक्त परिसर में कनेक्शन दिये जाने
हेतु साक्ष्य किया जाये। मैं वचन देता हूँ कि निगम को इस सम्बन्ध में हुए वादकरण के
कारण हुई सभी प्रकार की हानियों / क्षतियों एवं खर्चों की क्षतिपूर्ति का वचन देता हूँ।

स्थान

साक्षी का नाम

(निष्पादक के हस्ताक्षर)

दिनांक

पता

Checklist for completed Application Form

Activity	Yes/No
1) (a) Proof of ownership of the premises: (any one of the following)	
a) Title Deed (Registry)	
b) Possession letter issued by Local Bodies or any other Government authority like RIICO, Industries Deptt. etc.	
c) In Rural areas, the certificate issued by Revenue authorities	
d) Partnership deed	
e) Patta	
f) Sale deed	
g) Allotment letter	
h) Court order	
i) Any other document(specify)	
(b) Proof of tenant or occupier: (any one of the following)	
a) Rent deed/ consent of owner on Non-judicial Stamp paper worth Rs.50/-	
b) Indemnity bond on Non-judicial Stamp paper worth Rs.500/- in case there is no consent of owner	
2) Authorization Document or ID and address proof: (any one of the following)	
a) Authorization Document issued by the competent authority (in case of Firm/ Company)	
b) Voter ID/ Ration Card/ Adhar Card/ Bhamashah Card/ Passport/ Driving License (In case of individual applicant)	
3) Self certificate of installations/ permission of Electrical Inspector- As the case may be (prior to release of connection)	
a) LT / below 11 KV - self certified	
b) equal to or above 11KV and upto 33KV - self certified with the assistance of Chartered Electrical Safety Engineer	
c) Above 33 KV - Electrical Inspector	

(50 रु. का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

(नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित)

शपथ —पत्र

मैं/हम

पुत्र श्री निवासी.....

यह शपथ—पत्र प्रस्तुत करते हुए यह शपथ—पत्र लेता है/लेते है कि जो ट्रांसफार्मर
मेरे/हमारे विद्युत कनेक्शन हेतु लगाये जा रहे है उनकी सुरक्षा एवं निगरानी रखने
का पूर्ण दायित्व मेरा/हमारा/होगा।

उपभोक्ता(ओं) के हस्ताक्षर